# कार्यालय मुख्य राजस्य नियंत्रक प्राधिकरण आदेश

दिल्ली, 29 जुलाई, 2011

सं. फा.10 (2003)/मु, स. (मुख्या.)/स.शु./14979.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री सेकिसुइ
डीएलजेएम मोल्डिंग प्रा. लि., 2662, सदर थाना रोड, सदर बाजार,
दिल्ली-110006 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,00,000 मूल्य के
इिक्वटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 0000001 से 0010000 है, पर
लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 100 (रुपये एक सौ) के समेकित मुद्रांक
शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

# OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLING REVENUE AUTHORITY

#### **ORDERS**

Delhi, the 29th July, 2011

F. No. 10 (2003)/COS/(HQ/Cons. Duty/14979.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Sekisui DLJM Molding Pvt. Ltd., 2662, Sadar Thana Road, Sadar Bazar, Delhi-110006 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 100 (Rupees one hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 0000001 to 0010000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (783)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु,/15064.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ) दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अपोलो म्यूनिच हेल्थ इन्श्योरेन्स कम्पनी लि., पहली मंजिल, बी. के. रॉय कोर्ट, 6 और 7, आसफ अली रोड़, दिरयागंज, दिल्ली—110002, द्वारा अग्रिम मुदांक शुल्क के रूप में ₹ 10,00,000 (रुपये दस लाख) जोिक उनके द्वारा जुलाई, 2011 से दिसम्बर, 2011 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा । कम्पनी उक्त अविध के समाप्त होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण पत्र जोिक चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो

इस कार्यालय में जमा करेगी।

F. No. 10 (783)/COS/(HQ/Cons. Duty/15064.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Apollo Munich Health Insurance Company Limited, 1st Floor, B. K. Roy Court, 6 &7, Asaf Ali Road, Daryaganj, Delhi -110002 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 10,00,000 (Rs. Ten Lac) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period July, 2011 to December, 2011 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount.

सं. फा.10 (777)/मु, स. (मुख्या.)/स.शु,/15065.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अवीवा लाईफ इन्श्योरेन्स कम्पनी इंडिया लि., दूसरी मंजिल, प्रकाशदीप बिल्डिंग, 7, टालस्ट्यय मार्ग, नई दिल्ली−110001, द्वारा अग्रिम मुदांक शुल्क के रूप में ₹ 2,00,00,000 (रुपये दो करोड़) जोिक उनके द्वारा जुलाई, 2011 से सितम्बर, 2011 तक जारी की जाने वाली विभिन्न बीमा पोलिसियों पर देय होगा । कम्पनी उक्त अविध के समाप्त होने के तुरन्त बाद इस राशि के उपयोग का प्रमाण-पत्र जोिक चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा जारी एवं प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित हो इस कार्यालय में जमा करेगी ।

F. No. 10(777)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15065.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Aviva Life Insurance Company India Limited, 2nd Floor, Prakashdeep Building, 7, Tolstoy Marg, New Delhi -110001 shall pay a consolidated stamp duty of Rs. 2,00,00,000 (Rs. Two Crores) only in advance chargeable on various policy of Insurance to be issued by the said company during the period July, 2011 to September, 2011 subject to condition that company shall submit a certificate issued by Chartered Accountant and countersigned by Authorized Signatory

regarding the utilization of above said stamp duty paid immediately after completion of above said period or after consumption of above amount whichever is earlier.

## दिल्ली, 1 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2007)/मु, स. (मुख्या.)/स.शु./15035.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. सं. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पिठत भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शिक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री गेटइट
इन्फोसर्विसेज प्रा. लि., 8—बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110001
द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 7,00,00,000 मूल्य के प्रिफरेन्स शेयरों
जिनकी पृथक संख्या क्लास बी CCPS 2158001 से 2858000 है, पर
लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 70,000 (रुपये सत्तर हजार) केवल के
समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

#### Delhi, the 1st August, 2011

F. No. 10(2007)/COS/(HQ/Cons. Duty/15085.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Getit Infoservices Pvt. Ltd., 8-Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110001 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 70,000 (Rupees seventy thousand) only on the aggregate value of shares of ₹ 7,00,00,000 for preference shares certificates with distinctive Nos. Class B CCPS 2158001 to 2858000 to be issued by the said company.

### दिल्ली, 2 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (1948)/मु, स. (मुख्या.)/स.शु./15115.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शाक्तयों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री कोरोनेशन
इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., ई-0, मीरा कॉरपोरेट स्यूट्स, 1 एवम् 2, ईश्वर
नगर, नई दिल्ली-110065 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 8,78,28,700
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 1000001 से 9782870
है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 87,829 (रुपये सत्तासी हजार
आठ सौ उन्नतीस) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त
कम्पनी करेगी।

Delhi, the 2nd August, 2011

F. No. 10(1948)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15115.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E) dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Coronation Infrastructure Ltd., E-0, Meera Corporate Suites, 1 and 2, Ishwar Nagar, New Delhi-110065 shall pay a consolidated stamp duty of ₹87,829 (Rupees eighty seven thousand eight hundred twenty nine) only on the aggregate value of shares of ₹8,78,28,700 for issue of equity shares bearing distinctive Nos. 1000001 to 9782870 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2009)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15117.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री वेस टेक
प्रोसेस इक्विपमेन्ट इण्डिया प्रा. लि., ई-155, क्लासिक अपार्टमेन्ट,
प्लॉट नं. 11, सेक्टर-22, द्वारका, नई दिल्ली-110075 द्वारा जारी किए
जाने वाले ₹ 65,00,000 मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक
संख्या 001 से 650000 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 6,500
(रुपये छ: हजार पांच सौ) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का
भगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2009)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15117.—In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Wes Tech Process Equipment India Pvt. Ltd., E-155, Classic Appartment, Plot No. 11, Sector-22, Dwarka, New Delhi-110075 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 6,500 (Rupees six thousand five hundred) only on the aggregate value of shares of ₹ 65,00,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 001 to 650000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2006)/मु, स. (मुख्या.)/स.शु,/15139.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक 24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री अनन्त राज प्रोजेक्ट्स लि., ई-2, एआरए सेन्टर, झण्डेवलान एक्सटेंशन, नई दिल्ली-110055 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 33,48,85,400 मूल्य के नन कनवर्टीबल, डिबेन्चर्स हैं जिनकी पृथक संख्या 2181585 से 5530438 है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 8,37,214 (रुपये आठ लाख सैंतीस हजार दो सौ चौदह) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

F. No. 10 (2006)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15139.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. Anant Raj Projects Limited, E-2, ARA Centre, Jhandewalan Extension, New Delhi-110055 shall pay a consolidated stamp duty of ₹8,37,214 (Rupees eight lakh thirty seven thouand two hundred fourteen) only on the aggregate value of debentures of ₹33,48,85,400 for issue of Non Convertible debentures bearing distinctive Nos. 2181585 to 5530438 to be issued by the said company.

दिल्ली, 3 अगस्त, 2011

सं. फा.10 (2002)/मु, स. (मुख्या.)/स.शु./15255.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री एमजेए
रियलिटी प्रा. लि., बी-137, दूसरी मीजिल, पुष्पांजिल एन्कलेव,
पीतमपुरा, दिल्ली-110034 द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 48,50,000
मूल्य के इक्विटी शेयरों जिनकी पृथक संख्या 10,001 से 4,95,000′
है, पर लगने वाले मुद्रांक शुल्क ₹ 4,850 (रुपये चार हजार आठ सौ
पचास) केवल के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी
करेगी।

#### Delhi, the 3rd August, 2011

F. No. 10 (2002)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15255.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. MJA Reality Pvt. Ltd., B-137, IInd Floor, Pushpanjali Enclave, Pitampura, Delhi-110034 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 4,850 (Rupees four thousand eight hundred fifty) only on the aggregate value of shares of ₹ 48,50,000 for equity shares certificates with distinctive Nos. 10,001 to 4,95,000 to be issued by the said company.

सं. फा.10 (2005)/मु. स. (मुख्या.)/स.शु./15256.—
गृह मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 148(अ), दिनांक
24 जनवरी, 2008 के साथ पठित भारतीय मुद्रांक शुल्क अधिनियम, 1899
(1899 का 2) की धारा 9 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के
मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी निर्देश देते हैं कि सर्वश्री डीलाइट
एनर्जी प्रा. लि., टी-95, चौथी मंजिल, गौतम नगर, नई दिल्ली-110049
द्वारा जारी किए जाने वाले ₹ 1,71,39,620 मूल्य के इक्विटी शेयरों
जिनकी पृथक संख्या 4651714 से 4979744 है, पर लगने वाले
मुद्रांक शुल्क ₹ 17,140 (रुपये सत्रह हजार एक सौ चालीस) केवल
के समेकित मुद्रांक शुल्क का भुगतान उक्त कम्पनी करेगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य राजस्व नियंत्रक प्राधिकारी के आदेश से, आर. के. मिश्रा, विशेष महानिरीक्षक (पंजीकरण) F. No. 10 (2005)/COS/(HQ)/Cons. Duty/15256.— In exercise of the powers conferred by clause (b) of subsection (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (No. 2 of 1899) read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. S.O. 148(E), dated the 24th January, 2008, the Chief Controlling Revenue Authority, Delhi hereby directs that M/s. delight Energy Pvt. Ltd., T-95, 4th Floor, Gautam Nagar, New Delhi-110049 shall pay a consolidated stamp duty of ₹ 17,140 (Rupees seventeen thousand one hundred forty) only on the aggregate value of shares of ₹ 1,71,39,620 for preference shares certificates with distinctive Nos. 4651714 to 4979744 to be issued by the said company.

By Order of Chief Controlling Revenue Authority Govt. of National Capital Territory of Delhi,

R. K. MISRA, Special Inspector General (Registration)